ORDER - SHEET

(निरंतर शीट)

18/2/20 आज़ादी केन्द्र आबकारी वृत्त, देपालपुर जिला/परवाना क्रमांक 696/19

अंतर्गत धारा 34(1)(क) म0प्र0आबकारी अधिनियम के आरोपी [illegible]

के विरूद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190 (1) (ख) द.प्र.सं. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दाण्डिक प्रकरणों की पंजी मे विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.सं. के अनुपालन मे अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग मे जमा की जावे।

आरोपी आज स्वयं उपस्थित है।

उसने प्रकट किया है कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरूद्ध उपयोग मे लिया जाकर उसे कारावास के दण्डादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वह स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टया पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व रु-600/- [illegible] के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त/गण ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रूपये रु-600/- ([illegible] रूपये) ई पेमेंट 0070180220200082 5चालान क्र0 0070 5973 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई ।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी मे अंकित कर समयावधि मे प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

जे0एम0एफ0सी0देपालपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

21/5/19

पुनश्चः-

अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष मे रिहा किया गया।

जे0एम0एफ0सी0देपालपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner